विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002-
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष/Phone: 011-23604140

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

No.F/फासं.:.52-1/2024(CU) **March, 2025 / मार्च, 2025**

The Registrar / कुलसचिव
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University/ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Srinagar / श्रीनगर
Garhwal - 246174 Uttarakhand
गढ़वाल - 246174 उत्तराखंड

13 MAR 2025

Subject: **Additional Grant to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University under Grant-in-Aid Salary for the year 2024-2025.**

विषय: **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2024-2025 के लिए वेतन अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति।**

Sir/महोदय,

I am directed to convey the approval for Additional Grant of the University Grants Commission for an amount of **Rs.2,00,00,000/- (Rupees Two Crore Only)** to be released to **Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal - 246174 (Uttarakhand)** for the month of **March, 2025** under Grant-in-Aid Salary for the **year 2024-2025** on the basis of the allocation made by the Ministry of Education, Govt. of India.

मुझे, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदान सहायता वेतन के तहत मार्च, 2025 के लिए **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल, उत्तराखंड- 246174** को जारी की जाने वाली **अतिरिक्त अनुदान रु..2,00,00,000/-** के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(Rs. in Lakh/ रु. लाख में)

R.E. / आर .ई. 2024-25	Grants in aid Salary Head (36) / अनुदान सहायता वेतन मद (36)	Grant already released / पहले से जारी किया गया अनुदान	Grant now sanctioned / अब संस्वीकृत किया जा रहा अनुदान	Total Grant released so far / अब तक जारी किया गया कुल अनुदान
13700.00	CU **General** Component I (A) 36 / सीयु **सामान्य** घटक I (ए) 36	11663.92	**200.00**	11863.92
	CU **SC** Component I (B) 36 / सीयु **एस सी** घटक I (बी) 36	1248.86	**0.00**	1248.86
	CU **ST** Component I (C) 36 / सीयु **एस टी** घटक I (सी) 36	587.22	**0.00**	587.22
	Total / **कुल**	13500.00	**200.00**	13700.00

NOTE: *The payment of Salary/Allowances under OH: 36 should be only in respect of regular staff serving in approved posts.*
नोट: ***ओएच: 36 के तहत वेतन भत्ते का भुगतान केवल अनुमोदित पदों पर सेवारत स्थायी स्टाफ के संबंध में किया जाना चाहिए।***

The sanction letter of the above-mentioned grant is being issued separately under General, SC, ST Component.
उपर्युक्त में उल्लेखित अनुदान का संस्वीकृति पत्र सामान्य, एससी और एसटी घटक के अंतर्गत अलग से जारी किया जा रहा है।

Yours faithfully/भवदीया

अंजु

(Dr. (Mrs.) Anju Mohan Galhotra)/(डॉ.(श्रीमती) अंजु मोहन गलहोत्रा)
Under Secretary / अवर सचिव

Copy to/प्रतिलिपि:-

1. The Finance Officer, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand - 246174
   वित्तअधिकारी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर,गढ़वाल, उत्तराखंड - 246174
2. Policy File No.F.1-1/2024(CU) / पॉलिसी फाइलसं.एफ. 1-1/2024(सी.यु.)

हेमन्त 13/3/2025

(Hemant Gulati) / (हेमन्त गुलाटी)
Section Officer / अनुभाग अधिकारी

Amit Kumar 13/03/2025

वेतन – सामान्य –नॉन-एनईआर

FD Diary No./ वि.प्र. डायरी सं: 13086
Dated/ दिनांक : 12 मार्च- 2025

ज्ञान विज्ञान विमुक्तये

No.F/फासं.:.52-1/2024(CU)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG

March, 2025 / मार्च, 2025

The Under Secretary (FD-III)/ अवर सचिव (वित्त प्रभाग-III)
University Grants Commission/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
Bahadurshah Zafar Marg / बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
New Delhi-110 002 / नई दिल्ली - 110002.

13 MAR 2025

Subject: **Release of Additional Grant to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University under Salary head for the Year 2024-2025**

विषय: **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2024-2025 के लिए वेतन मद के तहत अतिरिक्त अनुदान जारी करने के संबंध में।**

Sir/महोदय,

I am directed to convey the sanction for Additional Grant of the University Grants Commission for payment of Rs.2,00,00,000/- (Rupees Two Crore Only) to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand - 246174 for the financial Year 2024-2025 towards the payment of Salary expenditure to be incurred during 2024-2025.

मुझे, **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड - 246174** को 2024-2025 के दौरान खर्च किए जाने वाले **वेतन व्यय** के भुगतान हेतु वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए **अतिरिक्त अनुदान** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की **रु.2,00,00,000/-** की संस्वीकृति **(मार्च, 2025)** संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(Rupees in Lakh/ रु. लाख में)

Name of the Item / मद का नाम	Head of Account/ लेखा शीर्ष	R.E. / आर. ई. 2024-25	Grant already sanctioned/ पहले से संस्वीकृत अनुदान	Grant now being sanctioned/ अब संस्वीकृत किया जा रहा अनुदान	Total Grant / कुल अनुदान
Grants-in-aid Salary(36) / अनुदान सहायता वेतन (36)	CU **General** Component I (A) 36 / सीयु **सामान्य** घटक I (ए) 36	**13700.00**	11663.92	**200.00**	11863.92

NOTE :*The payment of Salary/ Allowances& other components under OH: 36 should be only in respect of regular staff serving in approved posts.*
नोट: ***ओएच: 36 के तहत वेतन/भत्तों तथा अन्य घटकों का भुगतान केवल स्वीकृत पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के संबंध में ही किया जाना है।***

.2. **The release of above grant to Central Universities is subject to the condition that the expenditure to be incurred during the Year 2024-2025 with the following conditions / केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त अनुदान जारी करना इस शर्त के अध्यधीन है कि वर्ष 2024-2025. के दौरान खर्च किए जाने वाले व्यय के लिए निम्न शर्तें लागू होंगी: -**

.i. Funds under OH-31 will be utilized first towards payment of pension, arrears of pension, scholarships and arrears of scholarships and expenditure on other items. **Expenditure on other recurring expenditure will be met out of the IRG of the respective CUs and grant under OH:31 may be utilized only after ensuring that the all liabilities on account of the present and past accumulated liabilities under Pension and Scholarships have been, first cleared in full.**

ओएच-31 के तहत निधियों का उपयोग सर्वप्रथम पेंशन, पेंशन के बकाया, छात्रवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के बकाया तथा अन्य मदों पर व्यय के भुगतान के लिए किया जाना है। **अन्य आवर्ती व्यय पर खर्च की पूर्ति संबंधित सीयू के आईआरजी से की जाएगी तथा ओएच: 31 के तहत अनुदान का उपयोग यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाए कि पेंशन एवं छात्रवृत्तियों के तहत वर्तमान तथा विगत में संचित देयताओं सहित सभी देयताओं को सर्वप्रथम पूर्णतया निपटा दिया गया है।**

.ii. Funds only OH:36 will be utilized first only for payment of salary, other retirement benefits of regular employees. Expenditure on other items under OH:36 shall be incurred after fully clearing the liabilities under Salaries and other retirement benefits.

ओएच:36 के तहत निधियों का उपयोग सबसे पहले केवल स्थायी कर्मियों के वेतन,अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए किया जाएगा। ओएच: 36 के तहत अन्य मदों पर व्यय वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के तहत देयताओं को पूर्णतया निपटाने के बाद ही खर्च किया जाएगा।

.3. Grantee Institutions of the UGC shall ensure that all the payments of approved items to the beneficiaries vendors shall be made only through the TSA module of PFMS and assignments received from the UGC through TSA module have to be utilized before 31st March of the year. Balance remaining unutilized at the close of the year (31st March) will lapse to the Government and hence return back in Government Account.

यूजीसी का गारंटी संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों/वेंडरों को अनुमोदित मदों के सभी भुगतान केवल पीएफएमएस के टीएसए मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे और टीएसए मॉड्यूल के जरिए यूजीसी से प्राप्त अनुदानों को वर्ष के 31 मार्च से पहले उपयोग करना होगा। वर्ष (31 मार्च) की समाप्ति पर अप्रयुक्त शेष सरकार को व्यपगत हो जाएंगे और सरकार के खाते में वापसकिए जाएंगे।

अवर सचिव / Under Secretary
Ministry of Education, Govt. of India
New Delhi-110 002

.4. The sanctioned amount is debitable to Central Universities as stated above and is valid for payment during the financial year 2024-2025 only. /
संस्वीकृति राशि उपरोक्त में उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामे की जानी (debitable) है और यह केवल वित्त वर्ष **2024-2025** के दौरान भुगतान के लिए वैध है।

.5. The amount of the grant shall be drawn by the Under Secretary (Drawing and Disbursing Officer) UGC on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to **The Registrar, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, SrinagarGarhwal, Uttarakhand - 246174** through Electronic mode as per the following details:-
अनुदान की राशि अवर सचिव (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), यूजीसी द्वारा अनुदान सहायता बिल में आहरित की जाएगी और निम्न विवरणों के अनुसार **कुलसचिव,हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड - 246174** को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संवितरित और क्रेडिट की जाएगी:-

.a.	Details (Name & Address) of Account Holder / खाताधारक का विवरण (नाम एवं पता)	The Registrar, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, SrinagarGarhwal, Uttarakhand - 246174 कुलसचिव, **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड-246174**
.b.	Account No./खाता सं.	**10671301069**
.c.	Name & Address of Bank Branch / बैंक का नाम एवं बैंक शाखा का पता	Reserve Bank of India, Sansad Marg, New Delhi / रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, संसद मार्ग, नई दिल्ली
.d.	Branch Code / आईएफएससी कोड	RBIS0PFMS01
.e.	Type of Account / ते का प्रकार	Saving Account / बचत खाता

.6. The Grant is subject to the adjustment on the basis of Utilization Certificate in the prescribed Proforma submitted by the University.
अनुदान विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में उपलब्ध कराए गए उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजन के अध्यधीन है।

.7. The University shall send the EAT report (downloaded from PFMS portal) of their expenditure of grants received from UGC under different schemes along with Utilization Certificate duly signed by the Head of the Institution.
विश्वविद्यालय विभिन्न योजनाओं के तहत यूजीसी से प्राप्त अनुदानों के व्यय पर अपनी ईएटी रिपोर्ट (जो पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड की गई हो) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ भेजेगा।

.8. The University/Institution shall maintain proper accounts of the expenditure out of the grants which shall be utilized only on the approved items of expenditure.
विश्वविद्यालय/संस्थान अनुदानों में से किए गए व्यय के उचित लेखा कायम रखेगा जिनका उपयोग केवल व्यय की अनुमोदित मदों पर किया जाएगा।

.9. The University/Institution may follow the General Financial Rules, 2017 and take urgent necessary action to amend their manuals of financial procedures to bring them in conformity with GFRs, 2017 and those don't have their own approved manuals on financial procedures may adopt the provisions of GFRs, 2017 and instructions / guidelines there under from time to time.
विश्वविद्यालय/संस्थान सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का अनुसरण कर सकता है और अपनी वित्तीय कार्यविधियों व प्रक्रियाओं को जीएफआर, 2017 के अनुरूप बनाने हेतु अपनी नियमावलियों अथवा मैनुअलों को संशोधित करने के लिए अविलंब अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है। जिनके पास वित्तीय कार्यविधियों व प्रक्रियाओं पर स्वयं के अनुमोदित मैनुअल नहीं हैं, वे जीएफआर, 2017 के प्रावधानों तथा तत्संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देश का अनुसरण कर सकते हैं।

.10. The Utilization Certificate to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to UGC as early as possible after the close of current financial year.
यूजीसी को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र जमा करना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसकी संस्वीकृति की गई थी।

.11. The assets acquired wholly for substantially out of University Grants Commission's Grant shall not be disposed or encumbered or utilized for the purposes other than those for which the grants were given without proper sanction of the UGC and should at any time the University ceased to function, such assets shall revert to the University Grants Commission.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान से अधिग्रहित की गई संपूर्ण या सारवान् (substantial) परिसंपत्तियों को उन प्रयोजनों यानी जिनके लिए अनुदान दिया गया है के अलावा, यूजीसी की उचित संस्वीकृति के बगैर निपटाया या भारग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाएगा तथा यदि किसी भी समय पर विश्वविद्यालय बंद हो जाता है तो उक्त परिसंपत्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस की जाएंगी।

.12. A Register of Assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be maintained by the University in the prescribed proforma.
अनुदान से संपूर्ण या सारवान् अधिग्रहित परिसंपत्तियों के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा एक रजिस्टर विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में अनुरक्षित/कायम किया जाएगा।

.13. The grantee institution shall ensure the utilization of grants-in-aid for which it is being sanctioned/paid. In-case of non-utilization/part utilization, the simple interest @ 10% per annum as amended from time to time on unutilized amount from the date of drawl to the date of refund as per provisions contained in General Financial Rules of Govt. of India will be charged.
गारंटी संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदान सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उसकी संस्वीकृति/भुगतान किया गया है। अनुदान के उपयोग नहीं किए जाने/आंशिक उपयोग किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुदान आहरण करने की तिथि से लेकर उसके प्रतिदाय की तिथि तक अप्रयुक्त राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज, समय-समय पर यथा संशोधित, प्रभारित किया जाएगा।

.14. The University/Institution shall follow strictly the Government of India/UGC's guidelines regarding implementation of the reservation policy [both vertical (for SCs, STs, OBC& EWS) horizontal (person with disability etc.)] in admission and appointment of teaching & non-teaching posts.
विश्वविद्यालय/संस्थान शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के बारे में आरक्षण नीति [उर्ध्वाधर (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अपिव.) और क्षैतिज (दिव्यांगजनों आदि के लिए) दोनों के लिए]के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार/यूजीसी के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेगा।

डॉ. (श्रीमती) अंजु मोहन गलहोत्रा
Dr. (Mrs.) MANJU MOHAN GALHOTRA
अवर सचिव / Under Secretary
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Education, Govt. of India
नई दिल्ली-110 002 / New Delhi-110 002

.15. The University/Institution shall follow and implement the official Language Policy of Union Government and comply with the Official Language Act, 1963 and Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 etc.
विश्वविद्यालय/संस्थान संघ सरकार की राजभाषा नीति को पूर्ण रूप में कार्यान्वित करेगा और राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 आदि का अनुपालन करेगा।

.16. The sanction is issued in exercise of the delegation of power vide UGC Order No.69/2014 {F.No.10-11/12 (Admn. IA & B} dated 26.03.2014.
यह संस्वीकृति यूजीसी केआदेश सं.69/2014 {फा.सं. 10-11/12 (प्रशा. IA & B} दिनांक 26.03.2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रत्योजन का प्रयोग कर जारी की जा रही है।

.17. The University/Institution shall strictly follow the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 and amended from time to time.
विश्वविद्यालय/संस्थान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग घटनाक्रमों को नियंत्रित करने हेतु यूजीसी विनियम, 2009और समय-समय पर संशोधित का सख्ती से पालन करेगा।

.18. The University/Institute shall take immediate action for its accreditation by National Assessment & Accreditation Council (NAAC).
विश्वविद्यालय/संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से स्वयं को प्रत्यायित कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा।

.19. The accounts of the University/Institution will be open for audit by the Comptroller & Auditor General of India in accordance with the provisions of General Financial Rules, 2017.
विश्वविद्यालय/संस्थान के लेखा सामान्य वित्तीय नियम, 2017के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराने होंगे।

.20. The annual accounts i.e. balance sheet, income and expenditure statement and statement of receipts and payments are to be prepared strictly in accordance with the Uniform Format of Accounting prescribed by Government.
वार्षिक लेखा यथा, बैलेंस शीट अथवा तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरण और प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखाकरण फॉर्मेट के अनुसार अनिवार्य रूप से तैयार करने होंगे।

21. **The University may monitor the utilization of funds on regular basis so that the funds released or going to be released during the current financial year are fully utilized for which they are sanctioned and there should be no lapse of funds at the end of financial year. The grantee institutions of UGC should plan their activities well in advance so as o avoid last minute pressure on PFMS portal.**
विश्वविद्यालय नियमित आधार पर निधियों के उपयोग की निगरानी कर सकता है ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई या जारी की जाने वाली निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके जिसके लिए उन्हें स्वीकृति दी गई है और वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यूजीसी के अनुदान प्राप्त संस्थानों को अपनी गतिविधियों की योजना पहले से ही बनानी चाहिए ताकि पीएफएमएस (PFMS) पोर्टल पर अंतिम क्षण के दबाव से बचा जा सके।

.22. All **interests earned** against Grants-in-Aid (other than reimbursement) released to university should be mandatorily **remitted** to UGC Saving **Bank account No. 603010110003355 of Bank of India with IFS Code BKID0006030** immediately after finalization of accounts. Any interest earned out of Grants in aid should not be treated as additional funds over and above the allocation.
विश्वविद्यालय को जारी की गई अनुदान सहायता राशि पर **उपार्जित संपूर्ण ब्याज** (प्रतिपूर्ति के अलावा) लेखाओं को अंतिम रूप देने के शीघ्र बाद यूजीसी केबैंक खाता संख्या **603010110003355 बैंकऑफइंडियाआईएफसीकोड़BKID0006030,** में अनिवार्य रूप से **प्रेषित** (remit) किया जाना चाहिए। अनुदान सहायता से उपार्जित कोई भी ब्याज को आवंटन के अलावा, अतिरिक्त निधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। गैर-वेतन मदों के तहत निधियों में कोई भी शॉर्टफॉल की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधानों से की जाएगी।

.23. The University shall registered / mapped with PFMS Portal.
विश्वविद्यालय को पीएफएमएस के साथ पंजीकृत / मैप किया जाना चाहिए।

.24. The issues with the concurrence of FA vide Computer No. **141538**, Note **264** dated 11/03/2025
इसे वित्त सलाहकार की डायरी/ कंप्यूटर सं. **141538** नोट **264 दिनांक 11/03/2025** के माध्यम से सहमति के साथ जारी किया जाता है।

.25. This issue with the approval of Secretary, UGC vide Computer **141538**, Note **265** dated 11/03/2025
इसे सचिव, यूजीसी की डायरी/ कंप्यूटर सं. **141538** नोट **265 दिनांक 11/03/2025** के माध्यम से अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

Yours faithfully/भवदीया

डॉ. (श्रीमती) अंजु मोहन गलहोत्रा

(Dr. (Mrs.) Anju Mohan Galhotra)/(डॉ.(श्रीमती) अंजु मोहन गलहोत्रा)
Under Secretary / अवर सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

Copy forwarded for information and necessary action for:- / सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

.1. The Registrar, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand - 246174 /
कुलसचिव , हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड- 246174

.2. The Finance Officer, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand - 246174
वित्त अधिकारी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड- 246174

.3. O/o DG of Audit, Central Revenues, AGCR Building, I.P.Estate, New Delhi – 110 002
महानिदेशक लेखापरीक्षा, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली – 110 002

.4. No.F.1-1/2024(CU) / फा.सं.1-1/2024(सी.यु.)

(Hemant Gulati) / (हेमन्त गुलाटी)
Section Officer / अनुभाग अधिकारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002-
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष/Phone: 011-23604140

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

No.F/ **फासं.:.52-2/2024**(CU)

March, 2025/ **मार्च**, 2025

The Registrar/ कुलसचिव
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University /हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Srinagar/श्रीनगर
Garhwal / गढ़वाल
Uttarakhand/ उत्तराखंड - 246174

17 MAR 2025

Subject: **Approval of Additional Grant to Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University under Grant-in-Aid Recurring for the year 2024-2025.**

विषय: **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को आवर्ती मद के तहत वर्ष 2024-2025 के लिए अतिरिक्त अनुदान का अनुमोदन।**

Sir/महोदय,

I am directed to convey the approval for Additional Grant of the University Grants Commission for an amount of Rs.40,00,000/- (Rupees Forty Lakh Only) to be released to **Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal-246174 (Uttarakhand)** for the month of March, 2025 under Grant-in-Aid Recurring for the year 2024-2025 on the basis of the allocation made by the Ministry of Education, Govt. of India.

मुझे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर वर्ष 2024-2025 के लिए **अनुदान सहायता** आवर्ती मद के तहत मार्च, 2025 के लिए **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174** को जारी की जाने वाली रकम रु.40,00,000/- के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(Rs. in Lakh/ रु. लाख में)

R.E. /आर.ई. 2024-25	Grants in aid Recurring Head (31) /**अनुदान सहायता आवर्ती (31)**	Grant already released / पहले से जारी किया गया अनुदान	Grant now sanctioned / **अब संस्वीकृत किया जा रहा अनुदान**	Total Grant released so far / **अब तक जारी किया गया कुल अनुदान**
4840.00	CU General Component I (A) 31 / सीयु **सामान्य** घटक I (ए) 31	4163.71	40.00	4203.71
	CU SC Component I (B) 31 / सीयु **एस सी** घटक I (**बी**) 31	423.72	0.00	423.72
	CU ST Component I (C) 31 / सीयु **एस टी** घटक I (**सी**) 31	212.57	0.00	212.57
	Total / **कुल**	4800.00	40.00	4840.00

The sanction letter of the above-mentioned grant is being issued separately under General, SC, ST Component.
उपर्युक्त में उल्लेखित अनुदान का संस्वीकृति पत्र सामान्य, एससी और एसटी घटक के अंतर्गत अलग से जारी किया जा रहा है।

Yours faithfully/भवदीया

(Lokesh Kumar Jangra)/(लोकेश कुमार जांगडा)
Under Secretary / अवर सचिव

Copy to/ प्रतिलिपि:-

.1. The Finance Officer, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal , Uttarakhand, 246174.
वित्तअधिकारी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174.

.2. Policy File No.F.1-2/2024(CU)/ पॉलिसी फाइल सं.एफ. 1-2/2024(सी.यु.)

17/3/2025

(Hemant Gulati)/ (हेमंत गुलाटी)
Section Officer/ अनुभाग अधिकारी

17/03/2025

आवर्ती मद- सामान्य

FD Diary No./ वि.प्र. डायरी सं: 13312
Dated/ दिनांक : 17 मार्च- 2025

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

No.F/ फासं.:. 52-2/2024(CU)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

March, 2025/ मार्च, 2025

17 MAR 2025

The Under Secretary (FD-III)
अवर सचिव (वित्त प्रभाग-III)
University Grants Commission/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
Bahadurshah Zafar Marg / बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
New Delhi-110 002 / नई दिल्ली - 110002.

Subject: Release of Additional Grant to Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University under Recurring head (Including Pension & Pensionary Benefits, Non-salary expensed, Non-NET Fellowship for M.Phil./Ph.D. holders) for the Year 2024-2025.

विषय: **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2024-2025 के लिए आवर्ती मद (पेंशन एवं पेंशन संबंधी हितलाभ, गैर-वेतन व्यय, एम.फिल./पी.एच.डी. धारकों के लिए गैर-एनईटी अध्येतावृत्ति सहित) के तहत अतिरिक्त अनुदान जारी करने के संबंध में।**

Sir/ महोदय,

I am directed to convey the sanction **for Additional Grant** of the University Grants Commission for payment of **Rs.40,00,000/-** **(Rupees Forty Lakh Only)** to **Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand, 246174** for the financial Year 2024-2025 towards the payment of **Recurring expenditure** to be incurred during 2024-2025 as per details below: -

मुझे, **हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174** को 2024-2025 के दौरान खर्च किए जाने वाले **आवर्ती व्यय** के भुगतान हेतु वित्त वर्ष **2024-2025** के लिए **अतिरिक्त अनुदान** निम्न विवरणों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की **रु.40,00,000/-** की संस्वीकृति **(मार्च, 2025)** संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(Rupees in Lakh/ रु. लाख में)

Name of the Item / मद का नाम	Head of Account / लेखा मद	R.E. /आर.ई. 2024-25	Grant already sanctioned/ पहले से संस्वीकृत अनुदान	Grant now being sanctioned/ अब संस्वीकृत किया जा रहा अनुदान	Total Grant / कुल अनुदान
Pension, Pensionary Benefits / पेंशन, पेंशन संबंधी हितलाभ Non-Salary / गैर-वेतन Non-NET Fellowship for M.Phil./Ph.D. holders / एम.फिल./पी.एच.डी. धारकों के लिए गैर-एनईटी अध्येतावृत्ति	CU General Component I (A) 31 सीयु सामान्य घटक I (ए) 31	4840.00	4163.71	40.00	4203.71

It may also be ensured that the University has adopted the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./ Ph.D. Degree), Regulations, 2016./ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि), विनियम, 2016 को अंगीकृत किया है।

.2. The release of above grant to Central Universities is subject to the condition that the expenditure to be incurred during the Year 2024-2025 with the following conditions / **केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त अनुदान जारी करना इस शर्त के अध्यधीन है कि वर्ष 2024-2025. के दौरान खर्च किए जाने वाले व्यय के लिए निम्न शर्तें लागू होंगी: -**

.i. Funds under OH-31 will be utilized first towards payment of pension, arrears of pension, scholarships and arrears of scholarships and expenditure on other items. **Expenditure on other recurring expenditure will be met out of the IRG of the respective CUs and grant under OH:31 may be utilized only after ensuring that the all liabilities on account of the present and past accumulated liabilities under Pension and Scholarships have been, first cleared in full. /**

ओएच-31 के तहत निधियों का उपयोग सर्वप्रथम पेंशन, पेंशन के बकाया, छात्रवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के बकाया तथा अन्य मदों पर व्यय के भुगतान के लिए किया जाना है। **अन्य आवर्ती व्यय पर खर्च की पूर्ति संबंधित सीयु के आईआरजी से की जाएगी तथा ओएच: 31 के तहत अनुदान का उपयोग यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाए कि पेंशन एवं छात्रवृत्तियों के तहत वर्तमान तथा विगत में संचित देयताओं सहित सभी देयताओं को सर्वप्रथम पूर्णतया निपटा दिया गया है।**

.ii. Funds only OH:36 will be utilized first only for payment of salary, other retirement benefits of regular employees. Expenditure on other items under OH:36 shall be incurred after fully clearing the liabilities under Salaries and other retirement benefits. /
ओएच:36 के तहत निधियों का उपयोग सबसे पहले केवल स्थायी कर्मियों के वेतन,अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए किया जाएगा। ओएच: 36 के तहत अन्य मदों पर व्यय वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के तहत देयताओं को पूर्णतया निपटाने के बाद ही खर्च किया जाएगा।

.3. Grantee Institutions of the UGC shall ensure that all the payments of approved items to the beneficiaries vendors shall be made only through the TSA module of PFMS and assignments received from the UGC through TSA module have to be utilized before 31st March of the year. Balance remaining unutilized at the close of the year (31st March) will lapse to the Government and hence returned back in Government Account.

लोकेश कुमार जांगड़ा/ LOKESH KUMAR JANGRA
अवर सचिव / Under Secretary
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Education, Govt. of India
नई दिल्ली-110 002 / New Delhi-110 002

यूजीसी का गारंटी संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों/वेंडरों को अनुमोदित मदों के सभी भुगतान केवल पीएफएमएस के टीएसए मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे और टीएसए मॉड्यूल के जरिए यूजीसी से प्राप्त अनुदानों को वर्ष के 31 मार्च से पहले उपयोग करना होगा। वर्ष (31 मार्च) की समाप्ति पर अप्रयुक्त शेष सरकार को व्यपगत हो जाएंगे और सरकार के खाते में वापसकिए जाएंगे।

.4. The sanctioned amount is debitable to Central Universities as stated above and is valid for payment during the financial year 2024-2025 only.
संस्वीकृति राशि उपरोक्त में उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामे की जानी (debitable) है और यह केवल वित्त वर्ष **2024-2025** के दौरान भुगतान के लिए वैध है।

.5. The amount of the grant shall be drawn by the Under Secretary (Drawing and Disbursing Officer) UGC on the Grants-in-aid bill and shali be disbursed to and credited to **The Registrar, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand, 246174** through Electronic mode as per the following details:-
अनुदान की राशि अवर सचिव (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), यूजीसी द्वारा अनुदान सहायता बिल में आहरित की जाएगी और निम्न विवरणों के अनुसार **कुलसचिव, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174** को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संवितरित और क्रेडिट की जाएगी:-

.a.	Details (Name & Address) of Account Holder / खाताधारक का विवरण (नाम एवं पता)	The Registrar,Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand, 246174 कुलसचिव, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174
.b.	Account No./खाता सं.	**10671301069**
.c.	Name & Address of Bank Branch / बैंक का नाम एवं बैंक शाखा का पता	Reserve Bank of India, Sansad Marg, New Delhi / रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, संसद मार्ग, नई दिल्ली
.d.	Branch Code / आईएफएससी कोड	RBIS0PFMS01
.e.	Type of Account / ते का प्रकार	Saving Account / बचत खाता

.6. The Grant is subject to the adjustment on the basis of Utilization Certificate in the prescribed Proforma submitted by the University.
अनुदान विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में उपलब्ध कराए गए उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजन के अध्यधीन है।

.7. The University shall send the EAT report (downloaded from PFMS portal) of their expenditure of grants received from UGC under different schemes along with Utilization Certificate duly signed by the Head of the Institution.
विश्वविद्यालय विभिन्न योजनाओं के तहत यूजीसी से प्राप्त अनुदानों के व्यय पर अपनी ईएटी रिपोर्ट (जो पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड की गई हो) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ भेजेगा।

.8. The University/Institution shall maintain proper accounts of the expenditure out of the grants, which shall be utilized, only on the approved items of expenditure.
विश्वविद्यालय/संस्थान अनुदानों में से किए गए व्यय के उचित लेखा कायम रखेगा जिनका उपयोग केवल व्यय की अनुमोदित मदों पर किया जाएगा।

.9. The University/Institution may follow the General Financial Rules, 2017 and take urgent necessary action to amend their manuals of financial procedures to bring them in conformity with GFRs, 2017 and those don't have their own approved manuals on financial procedures may adopt the provisions of GFRs, 2017 and instructions / guidelines there under from time to time.
विश्वविद्यालय/संस्थान सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का अनुसरण कर सकता है और अपनी वित्तीय कार्यविधियों व प्रक्रियाओं को जीएफआर, 2017 के अनुरूप बनाने हेतु अपनी नियमावलियों अथवा मैनुअलों को संशोधित करने के लिए अविलंब अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है। जिनके पास वित्तीय कार्यविधियों व प्रक्रियाओं पर स्वयं के अनुमोदित मैनुअल नहीं हैं, वे जीएफआर, 2017 के प्रावधानों तथा तत्संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देश का अनुसरण कर सकते हैं।

.10. The Utilization Certificate to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to UGC as early as possible after the close of current financial year.
यूजीसी को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र जमा करना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसकी संस्वीकृति की गई थी।

.11. The assets acquired wholly for substantially out of University Grants Commission's Grant shall not be disposed or encumbered or utilized for the purposes other than those for which the grants were given without proper sanction of the UGC and should at any time the University ceased to function, such assets shall revert to the University Grants Commission.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलबध कराए गए अनुदान से अधिग्रहित की गई संपूर्ण या सारवान् (substantial) परिसंपत्तियों को उन प्रयोजनों यानी जिनके लिए अनुदान दिया गया है के अलावा, यूजीसी की उचित संस्वीकृति के बगैर निपटाया या भारग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाएगा तथा यदि किसी भी समय पर विश्वविद्यालय बंद हो जाता है तो उक्त परिसंपतियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस की जाएंगी।

.12. A Register of Assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be maintained by the University in the prescribed proforma.
अनुदान से संपूर्ण या सारवान् अधिग्रहित परिसंपत्तियों के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा एक रजिस्टर विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में अनुरक्षित/कायम किया जाएगा।

.13. The grantee institution shall ensure the utilization of grants-in-aid for which it is being sanctioned/paid. In-case of non-utilization/part utilization, the simple interest @ 10% per annum as amended from time to time on unutilized amount from the date of drawl to the date of refund as per provisions contained in General Financial Rules of Govt. of India will be charged.
गारंटी संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदान सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उसकी संस्वीकृति/भुगतान किया गया है। अनुदान के उपयोग नहीं किए जाने/आंशिक उपयोग किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुदान आहरण करने की तिथि से लेकर उसके प्रतिदाय की तिथि तक अप्रयुक्त राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज, समय-समय पर यथा संशोधित, प्रभारित किया जाएगा।

.14. The University/Institution shall follow strictly the Government of India/UGC's guidelines regarding implementation of the reservation policy [both vertical (for SCs, STs, OBC& EWS) horizontal (person with disability etc.)] in admission and appointment of teaching & non-teaching posts.

विश्वविद्यालय/संस्थान शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के बारे में आरक्षण नीति (उर्ध्वाधर (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.)और क्षैतिज (दिव्यांगजनों आदि के लिए) दोनों के लिए)के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार/यूजीसी के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेगा।

.15. The University/Institution shall follow implement the official Language Policy of Union Government and comply with the Official Language Act, 1963 and Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 etc.
विश्वविद्यालय/संस्थान संघ सरकार की राजभाषा नीति को पूर्ण रूप में कार्यान्वित करेगा और राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 आदि का अनुपालन करेगा।

.16. The sanction is issued in exercise of the delegation of power vide UGC Order No.69/2014 {F.No.10-11/12 (Admn. IA & B} dated 26.03.2014.
यह संस्वीकृति यूजीसी केआदेश सं.69/2014 {फा.सं. 10-11/12 (प्रशा. IA & B} दिनांक 26.03.2014द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रत्योजन का प्रयोग कर जारी की जा रही है।

.17. The University/Institution shall strictly follow the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 and amended from time to time.
विश्वविद्यालय/संस्थान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग घटनाक्रमों को नियंत्रित करने हेतु यूजीसी विनियम, 2009 और समय-समय पर संशोधित का सख्ती से पालन करेगा।

.18. The University/Institute shall take immediate action for its accreditation by National Assessment & Accreditation Council (NAAC).
विश्वविद्यालय/संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से स्वयं को प्रत्यायित कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा।

.19. The accounts of the University/Institution will be open for audit by the Comptroller & Auditor General of India in accordance with the provisions of General Financial Rules, 2017.
विश्वविद्यालय/संस्थान के लेखा सामान्य वित्तीय नियम, 2017के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराने होंगे।

.20. The annual accounts i.e. balance sheet, income and expenditure statement and statement of receipts and payments are to be prepared strictly in accordance with the Uniform Format of Accounting prescribed by Government.
वार्षिक लेखा यथा, बैलेंस शीट अथवा तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरण और प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखाकरण फॉर्मेट के अनुसार अनिवार्य रूप से तैयार करने होंगे।

21. **The University may monitor the utilization of funds on regular basis so that the funds released or going to be released during the current financial year are fully utilized for which they are sanctioned and there should be no lapse of funds at the end of financial year. The grantee institutions of UGC should plan their activities well in advance so as o avoid last minute pressure on PFMS portal.**
विश्वविद्यालय नियमित आधार पर निधियों के उपयोग की निगरानी कर सकता है ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई या जारी की जाने वाली निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके जिसके लिए उन्हें स्वीकृति दी गई है और वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यूजीसी के अनुदान प्राप्त संस्थानों को अपनी गतिविधियों की योजना पहले से ही बनानी चाहिए ताकि पीएफएमएस (PFMS) पोर्टल पर अंतिम क्षण के दबाव से बचा जा सके।

.22. All **interests earned** against Grants-in-Aid (other than reimbursement) released to university should be mandatorily **remitted** to UGC Saving Bank account No. 603010110003355 of Bank of India with IFS Code BKID0006030 immediately after finalization of accounts. Any interest earned out of Grants in aid should not be treated as additional funds over and above the allocation.
विश्वविद्यालय को जारी की गई अनुदान सहायता राशि पर **उपार्जित संपूर्ण ब्याज** (प्रतिपूर्ति के अलावा) लेखाओं को अंतिम रूप देने के शीघ्र बाद यूजीसी केबैंक खाता संख्या **603010110003355 बैंक ऑफ इंडीया आईएफसी कोड BKID0006030**, में अनिवार्य रूप से **प्रेषित** (remit) किया जाना चाहिए। अनुदान सहायता से उपार्जित कोई भी ब्याज को आवंटन के अलावा, अतिरिक्त निधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। गैर-वेतन मदों के तहत निधियों में कोई भी शॉर्टफॉल की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जाएगी।

.23. The University is registered / mapped with PFMS Portal.
विश्वविद्यालय को पीएफएमएस के साथ पंजीकृत / मैप किया जाना चाहिए।

.24. The issues with the concurrence of FA vide Computer No.142246, Note 159, dated 13-03-2025
इसे वित्त सलाहकार की डायरी/ कंप्यूटर सं. 142246 नोट 159 दिनांक 13-03-2025 के माध्यम से सहमति के साथ जारी किया जाता है।

.25. This issue with the approval of Secretary, UGC vide Computer 142246, Note 160 dated 13-03-2025
इसे सचिव, यूजीसी की डायरी/ कंप्यूटर सं. 142246 नोट 160 दिनांक 13-03-2025 के माध्यम से अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

Yours faithfully/भवदीया

(Lokesh Kumar Jangra)/(लोकेश कुमार जांगडा)
Under Secretary / अवर सचिव

Copy forwarded for information and necessary action for:- / सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

.1. The Registrar, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand, 246174
कुलसचिव, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174

.2. The Finance Officer, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand, 246174
वित्त अधिकारी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 246174

.3. O/o DG of Audit, Central Revenues, AGCR Building, I.P.Estate, New Delhi – 110 002
महानिदेशक लेखापरीक्षा, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली – 110 002

.4. No.F.1-2/2024(CU) / फा.सं.1-2/2024(सी.यू.)

(Hemant Gulati)/ (हेमंत गुलाटी)
Section Officer/ अनुभाग अधिकारी

17/03/2025